शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION
I Floor, near Estate Branch, Department of Education
Distt. North Lucknow Road, Delhi – 110054
Ph.23810508, 23810647
Email:-spd_delhi@rediffmail.com

क्रम संख्याः–UEEM/IE/2015-16/147/ 8457-90 दिनांक:– 14/12/15

सेवा में,

उप–शिक्षा निदेशक(आई.ई.डी.एस.एस.)
शिक्षा निदेशालय, अमृताशेरगिल स्कूल बिल्डिंग,
लेडी श्री राम कालेज के पीछे,
लाजपत नगर–IV
नई दिल्ली–110024।

विषयः– समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) हेतु मार्गरक्षी को मार्गरक्षी भत्ता (Escort Facility) का लाभ देने हेतु।

महोदय

आपका ध्यानार्कषण इस कार्यालय के पत्रांक संख्या UEEM/IE/2015-16/147/5493&5543 दिनांक 30.07.15 व UEEM/IE/2015-16/147/7534–84 दिनांक 29.10.15 की ओर दिलाया जाता है जिसके अन्तर्गत हमने सभी जिलों के उप–शिक्षा निदेशक/जिला परियोजना अधिकारी को सूचित किया था कि समावेशी शिक्षा हेतु विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता (Escort Facility) का लाभ वर्ष 2015–16 के लिए (8 माह) रु 152.78 लाख (एक करोड बावन लाख अठत्तर हजार रूपये मात्र) खर्च करने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान करायी गयी है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

Online Module में रिपोर्ट देखने पर सूचना प्राप्त हुई कि सभी जिलों में निर्धारित लक्ष्य से कम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता (Escort Facility) का लाभ मिल पा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा सभी जिलों के जिला/जोनल समन्वयक(IEDSS) को निर्देश प्राप्त कराया जाये कि जिन स्कूलों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का दाखिला बाद में होने के कारण या अन्य कारणवश मार्गरक्षी भत्ता (Escort Facility) का लाभ नही मिल पा रहा है ऐसे बच्चों की पहचान करके उन्हे भी लाभ दिलाना सुनिश्चित कराये।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

14.12.2015

कार्यालय अधीक्षक(प्रशासन)
सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक (शिक्षा) ईस्ट नगर निगम दिल्ली प्लाट न0–1824–उद्योग सदन पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) नार्थ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।
3. निदेशक (शिक्षा) साउथ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।

4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केन्द्र 7वॉं तल, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली।
6. उप–शिक्षा निदेशक (आई0 डी0 एस0 एस0) लाजपत नगर।
7. उप– शिक्षा निदेशक–सेन्ट्रल जोन, शिव मन्दिर मार्ग, जल विहार के पास, नई दिल्ली
8. उप– शिक्षा निदेशक–सिटी जोन, आशिफ अली रोड, मल्टीलेवल कार पार्किंग दिल्ली गेट के पास नई दिल्ली।
9. उप– शिक्षा निदेशक–सिविल लाईन जोन, 16 राजपुरा रोड सिविल लाईन दिल्ली
10. उप– शिक्षा निदेशक–करोल बाग जोन, आनन्द पर्वत खालसा कालेज के पास करोल बाग नई दिल्ली।
11. उप– शिक्षा निदेशक–नजफगढ़ जोन, गोपाल नगर, धान्सा मोड़ नजफगढ़ दिल्ली।
12. उप– शिक्षा निदेशक–नरेला जोन, नरेला पुलिस स्टेशन के पास नरेला दिल्ली
13. उप– शिक्षा निदेशक–रोहिणी जोन, सेक्टर–5 राजीव गाधी कैंसर हॉस्पिटल के पास रोहिणी दिल्ली।
14. उप– शिक्षा निदेशक–एस.पी. जोन, ईद गाह रोड सदर पुलिस स्टेशन के पीछे दिल्ली
15. उप– शिक्षा निदेशक–शाहदरा नार्थ जोन, केशव चौक शाहदरा दिल्ली
16. उप– शिक्षा निदेशक–शाहदरा साउथ जोन, कांती नगर दिल्ली–51
17. उप– शिक्षा निदेशक– साउथ जोन, ग्रीन पार्क उपहार सिनेमा के पास नई दिल्ली
18. उप– शिक्षा निदेशक– वेस्ट जोन, कम्यूनिटी हाल, विशाल इन्क्लेव के पास दिल्ली
19. जिला समन्वयक (आई0 डी0 एस0 एस0) जिला–(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
20. ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता, जिला–(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
21. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला –(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
22. कार्यालय अधीक्षक (सूचना तकनीकी), शिक्षा विभाग की वेबसाइड www.edudel.nic.in पर अपलोड हेतु।

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ हेतुः–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा)/अध्यक्ष यू0 ई0 ई0 मिशन के निजी सचिव।
2. निदेशक (शिक्षा)/उपाध्यक्ष यू0 ई0 ई0 मिशन के निजी सचिव।
3. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक

14.12.2011

कार्यालय अधीक्षक(प्रशासन)
सर्व शिक्षा अभियान–दिल्ली

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION
I Floor, near Estate Branch, Department of Education
Distt. North Lucknow Road, Delhi – 110054
Ph.23810508, 23810647
Email:-spd_delhi@rediffmail.com

क्रम संख्या:–**UEEM/IE/2015-16/147/** 5493-5543 दिनांक:– 30/7/15

सेवा में,

उप–शिक्षा निदेशक / जिला परियोजना अधिकारी
जिला–पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम,
दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य

विषय:– समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) हेतु मार्गरक्षी को मार्गरक्षी भत्ता (Escort Facility) का लाभ देने हेतु।

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता (Escort Facility) का लाभ वर्ष 2015–16 में 8 माह के लिए रू 152.78 लाख (एक करोड बावन लाख अठत्तर हजार रूपये मात्र) खर्च करने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान करायी गयी है। माह जुलाई समाप्त हो जाने के कारण इस महीने की धनराशि निर्गत नहीं की जायेगी।

जिला स्तर पर खर्च होने वाली धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:–

क.स.	जिला	**PAB 2015-16** में निर्धारित **CWSN** की संख्या	रू 250/– प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 8 माह (अगस्त से मार्च तक)हेतु कुल धनराशि (लाख में)	खर्च होने वाली कुल धनराशि (लाख में)
1	पूर्व	917	1834000	1834000
2	उत्तर–पूर्व	1084	2168000	2168000
3	उत्तर	265	530000	530000
4	उत्तर–पश्चिम	1632	3264000	3264000
5	पश्चिम	1285	2570000	2570000
6	दक्षिण–पश्चिम	825	1650000	1650000
7	दक्षिण	1190	2380000	2380000
8	नई दिल्ली	218	436000	436000
9	मध्य	223	446000	446000
	कुल	7639	**15278000**	**15278000**

~~उक्त दर्शायी गयी धनराशि समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त बजट 2015–16 के अनुसार ही खर्च की जायेगी। खर्च~~ करने हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(राकेश कुमार)
वित्त नियंत्रक
सर्व शिक्षा अभियान–दिल्ली

संलग्न उपरोक्त

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक (शिक्षा) ईस्ट नगर निगम दिल्ली प्लाट न0–1824–उद्योग सदन पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) नार्थ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।
3. निदेशक (शिक्षा) साउथ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केन्द्र 7वॉं तल, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली।
6. उप–शिक्षा निदेशक (आई0 डी0 एस0 एस0) लाजपत नगर।
7. उप– शिक्षा निदेशक–सेन्ट्रल जोन, शिव मन्दिर मार्ग, जल विहार के पास, नई दिल्ली
8. उप– शिक्षा निदेशक–सिटी जोन, आशिफ अली रोड, मल्टीलेवल कार पार्किंग दिल्ली गेट के पास नई दिल्ली।
9. उप– शिक्षा निदेशक–सिविल लाईन जोन, 16 राजपुरा रोड सिविल लाईन दिल्ली
10. उप– शिक्षा निदेशक–करोल बाग जोन, आनन्द पर्वत खालसा कालेज के पास करोल बाग नई दिल्ली।
11. उप– शिक्षा निदेशक–नजफगढ़ जोन, गोपाल नगर, धान्सा मोड़ नजफगढ़ दिल्ली।
12. उप– शिक्षा निदेशक–नरेला जोन, नरेला पुलिस स्टेशन के पास नरेला दिल्ली
13. उप– शिक्षा निदेशक–रोहिणी जोन, सेक्टर–5 राजीव गाधी कैंसर हॉस्पिटल के पास रोहिणी दिल्ली।
14. उप– शिक्षा निदेशक–एस.पी. जोन, ईद गाह रोड सदर पुलिस स्टेशन के पीछे दिल्ली
15. उप– शिक्षा निदेशक–शाहदरा नार्थ जोन, केशव चौक शाहदरा दिल्ली
16. उप– शिक्षा निदेशक–शाहदरा साउथ जोन, कांती नगर दिल्ली–51
17. उप– शिक्षा निदेशक– साउथ जोन, ग्रीन पार्क उपहार सिनेमा के पास नई दिल्ली
18. उप– शिक्षा निदेशक– वेस्ट जोन, कम्यूनिटी हाल, विशाल इन्क्लेव के पास दिल्ली
19. जिला समन्वयक (आई0 डी0 एस0 एस0) जिला–(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
20. ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता, जिला–(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
21. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला –(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
22. कार्यालय अधीक्षक (सूचना तकनीकी), शिक्षा विभाग की वेबसाइड www.edudel.nic.in पर अपलोड हेतु।

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ हेतुः–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा)/अध्यक्ष यू0 ई0 ई0 मिशन के निजी सचिव।
2. निदेशक (शिक्षा)/उपाध्यक्ष यू0 ई0 ई0 मिशन के निजी सचिव।
3. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक

कार्यालय अधीक्षक(प्रशासन)
सर्व शिक्षा अभियान–दिल्ली

दिशा–निर्देश

1. मार्गरक्षी भत्ता से सम्बन्धित निर्धारित धनराशि जिले स्तर से ही स्कूलों के खातों में भेजी जाएगी।
2. DoE, MCD, NDMC, DCB एवं DoE, MCD, NDMC, DCB Aided स्कूलों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) में से सिर्फ Blind, Orthopaedic Impairment, Mentally Retarded, Cerebral Palsy, Multiple Disability, Autism Spectum Disorder, Hearing Impaired बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता का लाभ मिलेगा।
3. उक्त दर्शायें गये सभी "विशिष्ट आवश्यकता" वाले बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता का लाभ प्राप्त होगा, इसमें गम्भीर, अतिगम्भीर अक्षमता होने जैसी अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
4. DoE, MCD, NDMC,DCB एवं DoE, MCD, NDMC, DCB Aided के स्कूलों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले Blind, Orthopaedic Impairment, Mentally Retarded, Cerebral Palsy, Multiple Disability, Autism Spectum Disorder, Hearing Impaired बच्चों को ही रू 250/– प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 10 माह हेतु मार्गरक्षी भत्ता देने की धनराशि निर्धारित है।
5. लाभार्थी की सूची में वही बच्चे शामिल होगे जो कक्षा I से VIII में पढ़ रहे है। जिला स्तर पर विभिन्न जिलों के स्कूलों में अध्ययनरत उक्त बच्चों की यथास्थिति का निरीक्षण एवं सत्यापन स्कूलों के HoS द्वारा किया जायेगा।
6. स्कूलों में अध्ययनरत कुल विशिष्ट आवश्यकता वाले (B, OI, MR, CP, MD, ASD & HI) बच्चों की संख्या के आधार पर ही सम्बन्धित स्कूलों के खातों में धनराशि निर्गत कर दी जाएगी।
7. स्कूलों के HoS द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को घर से स्कूलों में लाने एवं स्कूलों से घर छोड़ने हेतु मार्गरक्षी (Escort) की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। मार्गरक्षी को रू 250/– प्रति माह प्रति बच्चे की दर से देने हेतु धनराशि निर्धारित है।
   - यदि स्कूल में अध्ययनरत सभी लाभार्थी बच्चों के लिए नामित मार्गरक्षी को मार्गरक्षी भत्ता देने हेतु प्रतिमाह कुल धनराशि 5000/- से कम होने की स्थिति में धनराशि का भुगतान Cash एवं 5000/- या इससे ऊपर की धनराशि का भुगतान Cheque द्वारा कराया जायेगा।
8. लाभार्थी बच्चों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पूर्व शैक्षिक सत्र 2014–15 में अध्ययनरत बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता देने में वरीयता दी जायेगी, तत्पश्चात शेष धनराशि होने की स्थिति में नये बच्चों को इसका लाभ प्राप्त कराया जायेगा।
9. इस मद में खर्च हुई धनराशि का विवरण CRCCs द्वारा एकत्रित कर सभी संबंधित सूचना को online module में समय–समय पर update कराना होगा।
10. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समावेशी शिक्षा हेतु किसी भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (लाभार्थी) को नगद राशि प्राप्त कराने का प्रावधान नहीं है।
11. मार्गरक्षी भत्ता में खर्च होने वाली धनराशि का निरीक्षण जिला समन्वयकों (IEDSS) जोनल समन्वयकों (IEDSS), ब्लाक शहरी संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

विमल कुमार
समन्वयक (समावेशी शिक्षा)
सर्व शिक्षा अभियान, दिल्ली